

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला–बैतूल (म.प्र.)

--:: विविध आदेश ::--

(आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2021)

क्रमांक क्र्यु./सी.जे.एम./2021

बैतूल, दिनांक 19-07-2021

मैं अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला-बैतूल, प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुख्यालय मुलताई/भैंसदेही/आमला के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना होने से, पूर्व में जारी कार्य विभाजन अतिष्ठित करते हुये, नवीन कार्य विभाजन निम्नानुसार करती हूँ जो कि मानकीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा—

क्र. न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार	
(1)	(2)	(3)
1 अनीता खजूरिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल		<ol style="list-style-type: none"> आरक्षी केन्द्र-कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल एवं सारणी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रों से सम्बन्धित अपराधों की खारजा प्रतिवेदन (E.R.)। आरक्षी केन्द्र कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल एवं सारणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम (जिनमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से संबंधित समस्त प्रकरण। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोड़कर जिले के सभी मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 195 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र। सम्पूर्ण बैतूल जिले के बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2002, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। आर.टी.ओ. बैतूल/यातायात विभाग बैतूल द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अग्रियोग-पत्र एवं परिवाद-पत्र। मुख्यालय बैतूल के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार रांक्षण अधिनियम 1955 से सम्बन्धित प्रकरण। सम्पूर्ण बैतूल जिले से उत्पन्न होने वाले नगरपालिका अधिनियम, नापतौल अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, इन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विवारणीय नहीं हैं)। ऐसे समस्त प्रकरण, जिनका उल्लेख इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।
2 श्री दीनानाथ वाडिवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल		<ol style="list-style-type: none"> आरक्षी केन्द्र-शाहपुर, बैतूल-बाजार, जी.आर.पी. आमला के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र एवं खात्मा प्रकरण।

- 2. आरक्षी केन्द्र—बैतूल—बाजार, शाहपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के परिवाद पत्र।**
- 3. आरक्षी केन्द्र—शाहपुर, बैतूल—बाजार, जी.आर.पी. आमला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम (जिसमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से उद्भूत समरत प्रकरण।**
- 4. मुख्यालय बैतूल के अंतर्गत आने वाले समरत आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न बन विधि, पर्यावरण विधि एवं उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समरत प्रकरण।**
- 5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समरत आपराधिक प्रकरण।**
- 3 श्रीमती राधा उड्के, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**
- 4 श्रीमती प्रियंका कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**
- 5 श्री अजय उड्के, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**
- 6 सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**
- 7 श्री कौस्तुभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल**
- 1. माननीय रात्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।**
- 1. माननीय रात्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।**
- 1. आरक्षी केन्द्र—चिचोली, चोपना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समरत प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र एवं खात्मा प्रकरण।**
- 2. आरक्षी केन्द्र—चिचोली, चोपना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद—पत्र।**
- 3. आरक्षी केन्द्र—चिचोली, चोपना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम (जिसमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से उद्भूत समरत प्रकरण।**
- 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।**
- 1. महिला थाना—बैतूल एवं मुख्यालय बैतूल के अंतर्गत आने वाले समरत आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का रांगक्षण अधिनियम के प्रकरण भी शामिल हैं) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल के क्षेत्राधिकार के समरत उद्भूत प्रकरण।**
- 2. आरक्षी केन्द्र—कोतवाली बैतूल, गंज, सारणी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के परिवादपत्र।**
- 3. आरक्षी केन्द्र—कोतवाली बैतूल, गंज, सारणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र।**
- 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समरत आपराधिक प्रकरण।**
- 1. आरक्षी केन्द्र—बीजादेही, रानीपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समरत प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र एवं खात्मा प्रकरण।**

- 2.** आरक्षी केन्द्र-बीजादेही, रानीपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के परिवाद-पत्र।
- 3.** आरक्षी केन्द्र-बीजादेही, रानीपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मा.प्र आबकारी अधिनियम से (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल है) से उद्भूत समस्त प्रकरण।
- 4.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
- 8** **श्री कृष्णा बोहरा,**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैतूल, जिला-बैतूल
- 9** **श्रीमती रंजीता राव**
सोलंकी,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मुलताई, जिला-बैतूल
- 1.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
- 1.** तहसील मुख्यालय मुलताई के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न मछिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें धरेलू हिंसा से मछिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के सबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी मुलताई के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।
- 2.** तहसील मुख्यालय मुलताई क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मा.प्र.रिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।
- 3.** आरक्षी केन्द्र-मुलताई, साईखोडा, बोरदेही (ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले गरण पोषण/धारा 125, 127 द.प्र.स. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
- 4.** **तहसील मुख्यालय मुलताई** के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न वन विधि, पर्यावरण विधि एवं उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से सबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
- 5.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
- 10** **श्रीमति कमला गौतम,**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुलताई, जिला-बैतूल
- 1.** आरक्षी केन्द्र-मुलताई के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
- 2.** आरक्षी केन्द्र-मुलताई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मा.प्र. आबकारी अधिनियम (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल है) से उद्भूत समस्त प्रकरण।
- 3.** आरक्षी केन्द्र-मुलताई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।
- 4.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
- 1.** आरक्षी केन्द्र-साईखोडा, बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद-पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
- 2.** आरक्षी केन्द्र-साईखोडा, बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण) क्षेत्र से
- 11** **श्री दीपेन्द्र मालू,**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुलताई, जिला-बैतूल

- उत्पन्न होने वाले, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित (जिनमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल है) से उद्गृह समर्त प्रकरण।
3. **आरक्षी केन्द्र साईखोडा, बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण)** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकार्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।
 4. **माननीय रात्र न्यायाधीश महोदय एवं गुरुव्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समर्त आपराधिक प्रकरण।**
 1. **माननीय रात्र न्यायाधीश महोदय एवं गुरुव्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।**
 1. **आरक्षी केन्द्र-आमला** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समर्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र एवं खात्मा प्रकरण।
 2. **आरक्षी केन्द्र-आमला** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत (जिनमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल है) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
 3. **तहसील मुख्यालय, आमला** के अंतर्गत आने वाले समर्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के साबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी आमला के क्षेत्राधिकार के समर्त उद्गृह समर्त प्रकरण।
 4. **आरक्षी केन्द्र-आमला, बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले गरण पोषण/धारा 125 व 127 द.प्र.सं., से सम्बन्धित प्रकरण।
 5. **आरक्षी केन्द्र-आमला** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकार्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद-पत्र।
 6. **तहसील मुख्यालय आमला** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।
 7. **तहसील मुख्यालय आमला** के अंतर्गत समर्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले बन विधि, पर्यावरण विधि, उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से सम्बन्धित प्रस्तुत होने वाले समर्त प्रकरण।
 8. **माननीय रात्र न्यायाधीश महोदय एवं गुरुव्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समर्त आपराधिक प्रकरण।**
 1. **आरक्षी केन्द्र-बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समर्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र एवं खात्मा प्रकरण।
 2. **आरक्षी केन्द्र-बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत (जिनमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल है) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
 3. **आरक्षी केन्द्र-बोरदेही(ग्राम छिंदी, माथनी, महतपुर एवं खड़कवार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)** के

अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद-पत्र।

4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

15 श्रीमती मंजूषा तेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही, जिला-बैतूल

1. आरक्षी केन्द्र-भैसदेही एवं झल्लार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र एवं खात्मा प्रकरण।
2. **आरक्षी केन्द्र-भैसदेही एवं झल्लार** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।
3. **आरक्षी केन्द्र-भैसदेही एवं झल्लार** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम (जिनमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से उद्भूत समस्त प्रकरण।
4. **तहसील मुख्यालय भैसदेही** के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी के द्वारा से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भैसदेही के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।
5. **आरक्षी केन्द्र-भैसदेही, झल्लार, आठनेर, मोहदा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125 व 127 दंप्र.रा., से सम्बन्धित प्रकरण।
6. **तहसील-भैसदेही तथा झल्लार क्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र चिंचोली की चौकी भीमपुर** जो तहसील गैरादेही के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।
7. **तहसील मुख्यालय भैसदेही** के अन्तर्गत समस्त आरक्षी के द्वारा से उत्पन्न होने वाले बन विधि, पर्यावरण विधि, उत्खनन विधि तथा वाईल्ड लाईफ के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
8. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

16 श्री विनोद कुमार अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही, जिला-बैतूल

1. आरक्षी केन्द्र-आठनेर, मोहदा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, भारतीय दण्ड विधान के परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
2. **आरक्षी केन्द्र-आठनेर, मोहदा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।
3. **आरक्षी केन्द्र-आठनेर, मोहदा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत (जिनमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से उद्भूत समस्त प्रकरण।
4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

नोट :-

1. बैतूल जिले में पदरथ राष्ट्री न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल से अनुगति प्राप्त कर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल को सूक्ष्मा देकर प्रत्येक माह में अपने न्यायालय का न्यायिक कार्य प्रभावित किये बिना विलित न्यायालय लगा सकेंगे।

2. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद—पत्र, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा, जो सम्बन्धित न्यायालय में पूर्व से लिखित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम हैं।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान करने के तीन दिवस पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।
4. द.प्र.सं. की धारा 176 (1-क) के अन्तर्गत मृत्यु के कारण की जांच जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में अपराध किया गया है या जिसको इस हेतु अधिकृत किया जाता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जावेगी।
5. परिशिष्ट—“अ”, परिशिष्ट—“ब”, परिशिष्ट—“स”, परिशिष्ट—“द” इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के अंग समझे जावेगे।
6. किसी भी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या किसी कर्तव्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक प्रकरण परिशिष्ट—“अ” में उनके नाम से अगले क्रम में दर्शाये गये मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे और वे उन्हें अपने न्यायालय में पंजीबद्ध करके उनका विधि अनुसार निराकरण कर सकेंगे।
7. रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, के माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारण्ट व जेल वारण्ट का बनाया जाना इत्यादि सभी सम्बन्धित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125, 127 एवं 128 द.प्र.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली राशि एवं वापरी से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विवारण जिला मुख्यालय बैतूल पर श्री दीनानाथ वाडिवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील न्यायालय मुलताई पर श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील न्यायालय भैंसदेही पर श्री मंजूषा तेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तथा तहसील न्यायालय आमला पर श्री नानसिंह ताहेड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट—“अ” में दर्शाये गये उनके प्रभार अनुसार करेंगे।
8. रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट का निराकरण वर्तमान कार्य विभाजन पत्रकानुसार आरक्षी केन्द्र से संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

== सामान्य निर्देश :-

1. न्यायिक कार्य करते समय मजिस्ट्रेट इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा उन्हें कॉलम नंबर—03(आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार)में प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता के अनुरूप ऐसे प्रकरणों को छोड़कर ही न्यायिक कार्य किया जावे, जिनकी सुगवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल को है एवं कार्य विभाजन पत्रक में क्षेत्राधिकारिता से सम्बन्धित कोई ग्रम की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम होगा।
2. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर या पद रिक्त होने पर या किसी कार्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत स्वीकृति से सम्बन्धित समरी प्रकरणों का निराकरण उनके न्यायालय के इंवार्ज मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत किया जाएगा।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं या स्थानांतरण हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण से उनका पद रिक्त रहता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये गये मजिस्ट्रेट का नाम स्वतः ही पदस्थापित माना जायेगा।

(अंकीता खेजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

—::: परिशिष्ट — ‘अ’ ::—

इस सारणी में बताये गये पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा में उनके नामों के समक्ष (क्रम में) दर्शाये गये मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे :—

अनुक्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	अनीता खंजुरिया C.J.M., Betul	श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.E.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, J.M.E.C., Betul	श्री अजय उइके, J.M.E.C., Betul
2	श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.E.C., Betul	श्रीमती राधा उइके, J.M.E.C., Betul	श्री कौस्तुभ खेडा, J.M.E.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी J.M.E.C., Betul
3	श्रीमती राधा उइके, J.M.E.C., Betul	श्री अजय उइके J.M.E.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.E.C., Betul	श्री कौस्तुभ खेडा, J.M.E.C., Betul
4	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.E.C., Betul	श्री अजय उइके J.M.E.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.E.C., Betul	श्री कौस्तुभ खेडा, J.M.E.C., Betul
5	श्री अजय उइके J.M.E.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.E.C., Betul	श्रीमती राधा उइके J.M.E.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.E.C., Betul
6	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.E.C., Betul	श्री कौस्तुभ खेडा, J.M.E.C., Betul	श्री अजय उइके, J.M.E.C., Betul	श्री कृष्णा बोहरा, J.M.E.C., Betul
7	श्री कौस्तुभ खेडा, J.M.E.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.E.C., Betul	श्री अजय उइके J.M.E.C., Betul	श्री कृष्णा बोहरा, J.M.E.C., Betul
8	श्री कृष्णा बोहरा, J.M.E.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.E.C., Betul	श्री अजय उइके J.M.E.C., Betul	श्री कौस्तुभ खेडा, J.M.E.C., Betul
9	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.E.C., Multai	श्रीमति कमला गौतम J.M.E.C., Multai	श्री दीपेन्द्र मालू J.M.E.C., Multai	श्री अभिषेक साहू J.M.E.C., Multai
10	श्रीमती कमला गौतम J.M.E.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.E.C., Multai	श्री दीपेन्द्र मालू J.M.E.C., Multai	श्री अभिषेक साहू J.M.E.C., Multai
11	श्री दीपेन्द्र मालू J.M.E.C., Multai	श्रीमती कमला गौतम, J.M.E.C., Multai	श्री अभिषेक साहू J.M.E.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.E.C., Multai
12	श्री अभिषेक साहू J.M.E.C., Multai	श्री दीपेन्द्र मालू J.M.E.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.E.C., Multai	श्रीमती कमला गौतम, J.M.E.C., Multai
13	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.E.C., Bhaisdehi	श्री विनोद कुमार अहिरवार J.M.E.C., Bhaisdehi	श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.E.C., Betul	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.E.C., Multai
14	श्री विनोद कुमार अहिरवार J.M.E.C., Bhaisdehi	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.E.C., Bhaisdehi	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.E.C., Betul	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.E.C., Multai
15	श्री नानरिंघ ताहेड J.M.E.C., Amla	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.E.C., Amla	श्रीमती कमला गौतम, J.M.E.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.E.C., Multai
16	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.E.C., Amla	श्री नानरिंघ ताहेड J.M.E.C., Amla	श्री दीपेन्द्र मालू J.M.E.C., Multai	श्रीमती कमला गौतम, J.M.E.C., Multai

नोट:- 1. उपरोक्त कॉलम नम्बर-03, 04 व 05 नामांकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नं.-02 में दर्शित मजिस्ट्रेट के न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय पर उपरित्त वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जाएगा।

2. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किंची कारण वश उनके भी अनुपरिधि रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।
3. श्री विशाल रिछारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी बैतूल के अवकाश पर रहने या अनुपरिधि की दशा में उनके न्यायालय का कार्य श्री कृष्णा बोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा संपादित किया जावेगा तथा उनकी अनुपरिधि में परिशिष्ट अ की कपिलका क्र०-०८ के अनुसार कार्य संपादित किया जावेगा।

(अभीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

—:: परिशिष्ट — 'ब' ::—

इस सारणी में बताये गये पदरथ क्रमांक-02 के मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्गूर धारा 164 दं.प्र.सं. के आवेदन पत्रों का निराकरण एवं कथनों का अग्रिमेखन कॉलम नम्बर-03 में दर्शाइ गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, तथा कॉलम नम्बर-3 में दर्शाइ गये मजिस्ट्रेट की अनुपरिधि में कॉलम नम्बर 4 में दर्शाइ गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर-4 में दर्शाइ गये मजिस्ट्रेट की अनुपरिधि में कॉलम नम्बर 5 में दर्शाइ गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर-5 में दर्शाइ गये मजिस्ट्रेट की अनुपरिधि में बैतूल मुख्यालय पर उपरिथत रहे वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

अनुक्रम संख्या न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपरिधि में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे		कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपरिधि में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे		कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपरिधि में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	
	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	
1 अभीता खजूरिया C.J.M., Betul	श्री कौरतूम खेडा, J.M.F.C., Betul	श्री अजय उईके, J.M.F.C., Betul	श्री अजय उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, J.M.F.C., Betul	
2 श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.F.C., Betul	श्री अजय उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.F.C., Betul	
3 श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री अजय उईके, J.M.F.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.F.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.F.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.F.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, J.M.F.C., Betul	
4 श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.F.C., Betul	श्री अजय उईके, J.M.F.C., Betul	श्री कौरतूम खेडा, J.M.F.C., Betul	श्री कौरतूम खेडा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.F.C., Betul	
5 श्री अजय उईके, J.M.F.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.F.C., Betul	
6 सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.F.C., Betul	श्री कौरतूम खेडा, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्री दीनानाथ वाडिवा J.M.F.C., Betul	
7 श्री कौरतूम खेडा, J.M.F.C., Betul	सुश्री पूर्वी तिवारी, J.M.F.C., Betul	श्री अजय उईके, J.M.F.C., Betul	श्री अजय उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.F.C., Betul	
8 श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C., Multai	श्रीमति कमला गौतम J.M.F.C., Multai	श्री दीपेन्द्र मालू, J.M.F.C., Multai	श्रीमति रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Betul	
9 श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., Multai	श्री दीपेन्द्र मालू, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Betul	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Betul	
10 श्री दीपेन्द्र मालू J.M.F.C., Multai	श्रीमती कमला गौतम, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Betul	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Betul	
11 श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्री विनोद कुमार अहिरवार J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Betul	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, J.M.F.C., Betul	
12 श्री विनोद कुमार अहिरवार J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, J.M.F.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, J.M.F.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, J.M.F.C., Betul	

13	श्री नानरिंह ताहेड J.M.E.C., Amla	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.E.C., Amla	श्री दीपेन्द्र मालू J.M.E.C., Multai	श्रीमती कमला गौतम, J.M.E.C., Multai
14	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.E.C., Amla	श्री नानरिंह ताहेड J.M.E.C., Amla	श्री दीपेन्द्र मालू J.M.E.C., Multai	श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, J.M.E.C., Multai

नोट:- 1. सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्यावार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत धारा 164 द०प्र०स० के तहत कथन, सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक दलाधिकारी प्रथम श्रेणी, बैतूल द्वारा लिपिबद्ध किये जायेंगे एवं उनकी अनुपरिथिति में परिशिष्ट "ब" के अनुसार कार्य किया जावेगा।

2. पॉस्टों एकट से उत्पन्न धारा-164 द.प्र.सं. के कथन तहसील मुख्यालय-मुलताई के समस्त आरक्षी केन्द्रों के श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई, तहसील मुख्यालय भैसदेही के समस्त आरक्षी केन्द्रों के श्रीमती मंजूषा तेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैसदेही एवं तहसील मुख्यालय आमला के संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों के सुश्री रीना पिपल्या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला द्वारा लिपिबद्ध किये जायेंगे एवं उनकी अनुपरिथिति में परिशिष्ट "ब" के अनुसार कार्य किया जावेगा।

(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

—:: परिशिष्ट - 'स' ::-

बलात्कार से संबंधित प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	अनीता खजूरिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र - जी.आर.पी. आमला 2. आरक्षी केन्द्र - बीजादेही
2.	सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र - इल्लार 2. आरक्षी केन्द्र - भैसदेही 3. आरक्षी केन्द्र - कोतवाली बैतूल
3.	श्रीमती राधा उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र - शाहपुरु 2. आरक्षी केन्द्र - गंज बैतूल 3. आरक्षी केन्द्र - रानीपुर 4. आरक्षी केन्द्र - महिला थाना बैतूल
4.	श्रीमती प्रियंका कुशवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र - घोगरा 2. आरक्षी केन्द्र - विधोली 3. आरक्षी केन्द्र - सारणी 4. आरक्षी केन्द्र - बैतूल-बाजार
5.	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई	1. आरक्षी केन्द्र - मुलताई
6.	श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई	1. आरक्षी केन्द्र - साईखेडा 2. आरक्षी केन्द्र - बोरदेही
7.	श्रीमती मंजूषा तेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही	1. आरक्षी केन्द्र - आठगेर 2. आरक्षी केन्द्र - गोहदा
8.	सुश्री रीना पिपल्या, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला	1. आरक्षी केन्द्र - आमला

परिशिष्ट - 'द' :-

इस सारणी मे जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों मे पदथ न्यायिक मजिस्ट्रेटो के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा मे परिशिष्ट - 'स' :- के अनुसार कार्य के संपादन हेतु उनके नामो के समक्ष (कम मे) मजिस्ट्रेट कार्य करेगे -

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	अनीता खजूरिया C.J.M., Betul	सुश्री पूर्णि तिवारी, J.M.E.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.E.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.E.C., Betul
2.	सुश्री पूर्णि तिवारी, J.M.E.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.E.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.E.C., Betul	अनीता खजूरिया C.J.M., Betul
3.	श्रीमती राधा उईके, J.M.E.C., Betul	सुश्री पूर्णि तिवारी, J.M.E.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.E.C., Betul	अनीता खजूरिया C.J.M. Betul,
4.	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.E.C., Betul	श्रीमती राधा उईके, J.M.E.C., Betul	सुश्री पूर्णि तिवारी, J.M.E.C., Betul	अनीता खजूरिया C.J.M. Betul,
5.	श्रीमति रंजीताराव रोलंकी J.M.E.C., Multai	श्रीमती कमला गौतम J.M.E.C., Multai	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.E.C., Amla	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.E.C., Betul
6.	श्रीमती कमला गौतम J.M.E.C., Multai	श्रीमति रंजीताराव रोलंकी J.M.E.C., Multai	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.E.C., Amla	सुश्री पूर्णि तिवारी, J.M.E.C., Betul
7.	श्रीमती मलूषा तोकाम J.M.E.C., Bhainsdehi	श्रीमती राधा उईके J.M.E.C., Betul	सुश्री पूर्णि तिवारी, J.M.E.C., Betul	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.E.C., Betul
8.	सुश्री रीना पिपल्या, J.M.E.C., Amla	श्रीमती कमला गौतम J.M.E.C., Multai	श्रीमति रंजीताराव रोलंकी J.M.E.C., Multai	सुश्री पूर्णि तिवारी, J.M.E.C., Betul

(अनीता खजूरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल

- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल की ओर उक्त आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।

(अनुमोदित)
Deepti
 19.7.21
 District & Sessions Judge
 Betul (M.P.)

पूँकमांक 179/सी.जे.एम./2021

बैतूल दिनांक 19.07.21

प्रतिलिपि:-

- (1) माननीय प्रिसिपल रजिस्ट्रार महोदय (न्यायिक), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर।
- (2) श्री दीनानाथ वाडिवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (3) श्रीगती राधा उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (4) श्रीमती प्रियंका कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (5) श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (6) सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (7) श्री कौस्तुभ खेडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (8) श्री कृष्ण बोहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (9) श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई।
- (10) श्रीमति कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई।
- (11) श्री दीपेन्द्र गालू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई।
- (12) श्री अभिषेक साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई।
- (13) श्री नानसिंह ताहेडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला।
- (14) सुश्री रीना पिपल्या, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला।
- (15) श्रीगती मंजूषा तोकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही।
- (16) श्री विनोद कुमार अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही।
- (17) प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल।
- (18) कार्यालय— जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल।
- (19) अगिभाषक संघ, बैतूल / मुलताई / भैसदेही / आमला।
- (20) जिला अभियोजन अधिकारी, बैतूल।
- (21) श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय, बैतूल।
- (22) श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, बैतूल।
- (23) श्रीमान मुख्य वनसंरक्षक महोदय, बैतूल।
- (24) जिला आबकारी अधिकारी, बैतूल।
- (25) जिला परिवहन अधिकारी, बैतूल।
- (26) किशोर न्याय बोर्ड बैतूल।।
- (27) श्रम विभाग, बैतूल।
- (28) थाना प्रभारी, थाना—कोतवाली बैतूल / महिला थाना बैतूल / गंज बैतूल / सासी / जीआर.पी.आमला / झाल्लार / बीजादेही / ए.जे.के.बैतूल / शाहपुर / चोपना / रानीपुर / बैतूलबाजार / मुलताई / साईखेडा / बोरदेही / आमला / भैसदेही / विचोली / आठनेर / मोहदा।।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19/07/21
 (अनीता खजूरिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
 जिला—बैतूल (म.प्र.)